OMAXE
Turning dreams into reality

OMAXE METROCITY
HI-TECH LIVING EXPERIENCE

प्रस्तुत है

ओमेक्स मेट्रो सिटी, लखनऊ में

दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हेतु उत्कृष्ट आवासीय योजना

LIG का वास्तुविद परिकल्पना चित्र

पुस्तिका संख्या:

खुदीराम बोस एनक्लेव (E.W.S.)

चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव (L.I.G.)

RERA Regn. No.: UPRERAPRJ796428

ओमेक्स मेट्रो सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ

विक्रय मूल्य मात्र: ₹300/–
including GST

चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव (L.I.G.)
LIG का वास्तुविद परिकल्पना चित्र

खुदीराम बोस एनक्लेव (E.W.S.)
EWS का वास्तुविद परिकल्पना चित्र

OMAXE
Turning dreams into reality

खुदीराम बोस एनक्लेव (E.W.S.) / चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव (L.I.G.)

ओमेक्स मेट्रो सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ में प्रस्तावित खुदीराम बोस एनक्लेव–ई.डब्लू.एस.(दुर्बल आय वर्ग) एवं चंद्रशेखर आजाद एनक्लेव–एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के आवेदकों हेतु भवनों की योजना

विवरण पुस्तिकाः

इस बुकिंग फार्म में वर्णित सभी विषय वस्तु, नियम व शर्तें भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 तथा सम्बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे जहाँ तक संशोधन करना समीचीन होगा और यदि आवश्यक हुआ तो भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों व प्रपत्रों को निष्पादित किया जायेगा जिस हेतु पक्षकार तत्पर रहेंगे।

1. योजना का विवरण

1.1 योजना – ओमेक्स मेट्रो सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ

1.2 विकासकर्ता कम्पनी – गर्व बिल्डटेक प्रा.लि. {ओमेक्स लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी}

2. भवनों के नाम

2.1 खुदीराम बोस एनक्लेव–ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)

2.2 चंद्रशेखर आजाद एनक्लेव–एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

3.2 आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

3.3 आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।

3.4 आवेदक को ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय क्रमशः रु. 3,00,000/– व रु. 6,00,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें).

3.5 आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना–पत्र के साथ जमा करना होगा।

3.6 आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

4. भवनों का विवरण

भवनों के प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल* वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया)	अनुमानित क्षेत्रफल* वर्ग मीटर (कारपेट एरिया)	भवनों की संख्या*	भवनों के तलो की संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू. लाख में)	पंजीकरण धनराशि(रू.) (पूर्णांक में) (अधिकतम 5%)	आवंटन के पश्चात 45 दिन के भीतर देय धनराशि प्रतिशत (%) में	अवशेष 90% धनराशि की भुगतान पद्धति
खुदीराम बोस एनक्लेव ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)	34.93 36.51	28.06 28.06	145 191	G+11	6.13 6.41	30000 30000	अनुमानित विक्रय मूल्य का 10% (पंजीकरण धनराशि घटाकर)	बारह समान त्रैमासिक किश्तों में
चंद्रशेखर आजाद एनक्लेव एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)	41.34 42.18	32.89 32.89	96 288	G+11	12.39 12.64	58500 58500	अनुमानित विक्रय मूल्य का 10% (पंजीकरण धनराशि घटाकर)	बारह समान त्रैमासिक किश्तों में

*भवनों की संख्या एवं अनुमानित क्षेत्रफल घट/बढ़ सकता है।

नोट :

4.1 प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयों की संख्या एवं तलो की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 7 से 10 पर उपस्थित मानचित्रों के साथ दी गयी है।

4.2 उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।

4.3 उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।

4.4 आवंटन के पश्चात वांछित/देय धनराशि एवं किश्ते निर्धारित अवधि मे आवंटी द्वारा जमा न करने पर देय धनराशि पर 15% अथवा रेरा अनुसार प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा।

4.5 विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।

4.6 भूतल पर भवनों के मूल्य का 5%, प्रथम तल पर 4% एवं द्वितीय तल पर 3% अतिरिक्त देय होगा।

4.7 प्रस्तावित खुदीराम बोस एनक्लेव–ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों मे 34.93 व 36.51 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, भवन मे एक लिविंग/बेडरुम हेतु कक्ष, टॉयलेट व किचन स्पेस है तथा चंद्रशेखर आजाद एनक्लेव–एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित भवनों मे 41.34 व 42.18 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, व भवन मे एक लिविंग रुम, एक बेडरुम, टॉयलेट व किचन स्पेस है।

4.8 विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने मे सहायता की जायेगी जो कि बैंक अपने नियम एवं शर्तों के अनुसार देने अथवा न देने हेतु स्वतंत्र होगें।

4.9 आवंटी निर्माण की अवधि में आकर निर्माण की गुणवन्ता का निरीक्षण कर सकता है।

5. छूट

आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के पश्चात् पूर्ण भुगतान करने पर सूचित विक्रय मूल्य की 75% धनराशि देने पर 5% की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जाएगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।

6. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों/नाम निर्देशेती (इस संबंध में प्रचलित सुसंगत अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार) को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

7. आरक्षण

7.1 शासनादेश के अनुसार खुदीराम बोस एनक्लेव–ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) तथा चंद्रशेखर आजाद एनक्लेव–एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) श्रेणी मे आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा:–

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछडा वर्ग	27
4.	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011)	03 हॉरिजोन्टल

7.2 प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का घोषणापत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा।

7.3 खुदीराम बोस एनक्लेव–ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) तथा चंद्रशेखर आजाद एनक्लेव–एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) हेतु प्रार्थना–पत्र का प्रारुप संलग्न है। सभी भवन सामान्य श्रेणी के होंगे।

7.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनो के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरुप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा।

7.5 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

7.6 आरक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत सुरक्षा सैनिक से है।

7.8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

7.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम–1994) अधिनियम संख्या–4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदको की सुविधा का लाभ अनुमन्य नही होगा।

7.10 बिन्दु 7.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

7.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।

7.12 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जायेगें।

7.13 प्रधानमन्त्री आवास योजना के दिशा निर्देश/नियम शर्तें भी यदि इस योजना पर लागू होती हैं तो उनका भी समायोजन इस योजना पर प्रभावी होगा।

8. आवंटन

8.1 भवनो का आंवटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

8.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रुप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाईट www.omaxe.com पर उपलब्ध होगा।

8.3 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी मे नही आते हैं उनका प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी मे निहित रहेगा।

8.4 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन–पत्र रद्द कर दिये जायेगें।

8.5 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन–पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय मे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.6 यदि आवंटी के पते मे कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करे।

9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

9.1 असफल आवेदकों का आवंटन न होने की दशा मे 30 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

9.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी जो कि तत्समय प्रवर्तनशील कानून के अनुसार होगी।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ले। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी, की जा सकती है।

11. फ्री–होल्ड शुल्क

विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटित भवन की भूमि का फ्री–होल्ड के रुप मे भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत अनुबन्ध/निबन्धन के पूर्व देय होगा।

12. फ्लैट्स का कब्जा :

12.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।

12.2 निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

12.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि मे विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम् तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी फ्लैट को आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

12.4 निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय दैविक आपदा एवं ऐसी समस्त परिस्थितियाँ जो कि विकासकर्ता के उचित नियंत्रण के परे हों, आदि अपरिहार्य स्थिति में बढ़ सकता है।

12.5 आवंटन की तिथि के 3 वर्ष के भीतर भवन पूरा कर पूर्ण भुगतान किये गये आवंटी को भवन का भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा।

12.6 आवंटन तिथि से 3 वर्ष में भवन का निर्माण न होने पर अर्थात डिफाल्ट की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि का 15% अथवा रेरा अनुसार निर्धारित वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगी।

12.7 यदि आवंटी द्वारा अनुबन्ध निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है और समय से धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है अथवा किसी कारणवश आवंटी द्वारा धनराशि वापस करने का आवेदन दिया जाता है तो पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त जमा धनराशि वापस की जायेगी।

12.8 भवन का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात आवंटी 5 वर्षो तक भवन का विक्रय ना करने हेतु बाध्य रहेगा।

13. शुल्क/कर आदि की देयता :

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

14. अन्य सामान्य नियम व शर्तें :

14.1 आवंटन के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय–समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

14.2 आवेदन–पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

14.3 एक से अधिक ई.डब्लु.एस./एल.आई.जी. भवनों का अमलगमेशन अथवा उन्हे जोडकर एक इकाई/भवन बनाना प्रतिबन्धित होगा।

14.4 ई.डब्लु.एस./एल.आई.जी. भवनों का आवंटन लीज–होल्ड के आधार पर किया जायेगा, जिसके विक्रय हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 5 वर्षो अथवा देय लागत जमा करने की तिथि जो भी बाद में हो, तक प्रतिबंध रहेगा तथा उक्त तिथि अवधि के पश्चात् ही लाभार्थी के पक्ष में फ्री–होल्ड किया जा सकेगा।

14.5 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

15 पंजीकरण प्रक्रिया :

15.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रू. 300.00 (जी.एस.टी. सहित) नगद भुगतान पर दिनांक 26/02/2020 से 31/03/2020 तक किसी भी कार्य दिवस मे निर्दिष्ट ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज (शहरी क्षेत्र) की सभी शाखाओं एवं ओमेक्स के लखनऊ कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

15.2 पंजीकरण प्रपत्र ओमेक्स लिमिटेड की वेबसाइट www.omaxe.com से डाउनलोड करके भी प्राप्त किये जा सकते है, ऐसे आवेदन पत्रों पंजीकरण धनराशि के साथ पंजीकरण प्रपत्र हेतु रू. 300.00 (जी.एस.टी. सहित) का अलग से भुगतान करना होगा।

16. विवरण पुस्तिका मे संलग्न आवेदन–पत्र पूर्ण रूपेण भरें।

16.1 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15/04/2020 होगी।

16.2 विवरण पुस्तिका मे संलग्न शपथ–पत्र के प्रारूप का रू. 10.00 के स्टैम्प पेपर पर अंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

16.3 पूर्ण रूप से भरे आवेदन–पत्र बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं मे अंतिम तिथि से पूर्व कार्य दिवसो में जमा किये जा सकते हैं।

16.4 पंजीकरण धनराशि का ड्राफ्ट/पे–आर्डर,
GARV BUILDTECH PVT LTD, A/C NO-206010200018692, BANK NAME-AXIS BANK LTD. Payable at Delhi के पक्ष मे देय होगा।

17. पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंकः जहाँ पंजीकरण फार्म प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है।

ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज (शहरी क्षेत्र) की शाखाओं से।

18. आवेदन – पत्र भरने के लिये अनुदेश :

18.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

18.2 शासनादेश के अनुक्रम मे फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने का प्रवधान है। अतः तदनुसार आवेदन पति एवं पत्नी के नाम से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिये।

18.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्र में दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होने चाहिये।

18.4 आविवाहित स्त्री एवं पुरुष एकल रूप से आवेदन कर सकते हैं।

18.5 आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल पता दिया जाना अनिवार्य होगा।

18.6 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किश्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन–पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढ़ंग से समायोजित करने मे मदद मिलेगी एवं एक सप्ताह के उपरान्त वेबसाइट से आप स्वयं भुगतान की स्थिति चेक कर सकते है।

19. भुगतान पद्धति :

19.1 नगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 45 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान)

19.2 स्ववित्त पोषित (आवंटन राशि के पश्चात् अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि बारह समान त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)

20. जाँच–सूची (CHECK LIST)

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को आवश्य जॉच लें।

1. आवेदन–पत्र फोटो के साथ पूर्ण रूप से भरा गया है? ☐
2. आवेदन–पत्र उचित रूप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदको के हस्ताक्षर है? ☐
3. बुकिंग धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक है? ☐
4. आवेदक की आय के साक्ष्य हेतु प्रमाण–पत्र संलग्न है? ☐
5. मूल निवासी प्रमाण–पत्र संलग्न है? ☐
6. पैन कार्ड, आधार कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न है? ☐
7. शपथ–पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी से सत्यापित है? ☐

OMAXE
Turning dreams into reality

खुदीराम बोस एनक्लेव (E.W.S.) / चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव (L.I.G.)

लेआउट प्लान – ओमेक्स मेट्रो सिटी

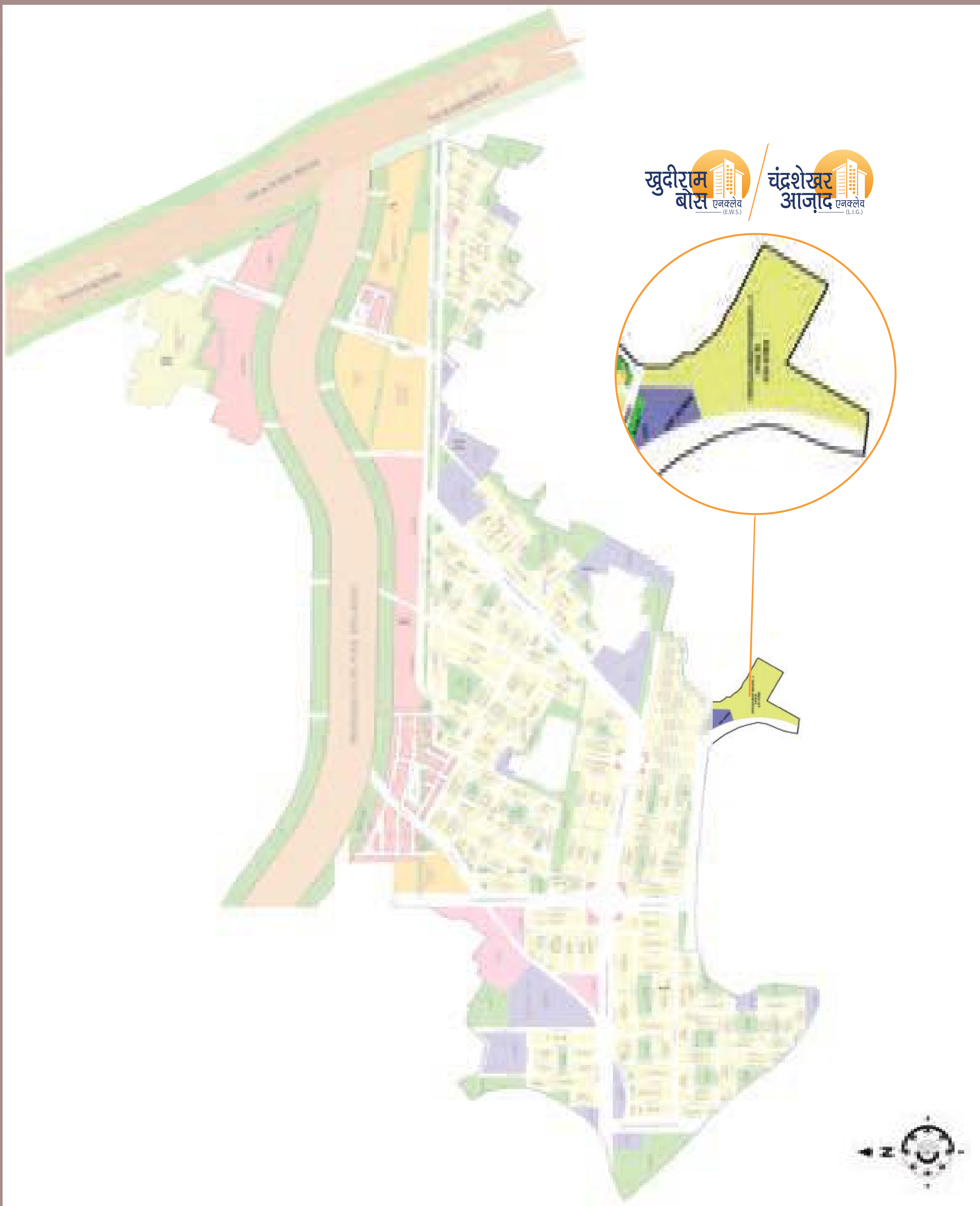

साईट प्लान – ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी.

क्लस्टर प्लान (ई.डब्लू.एस.)

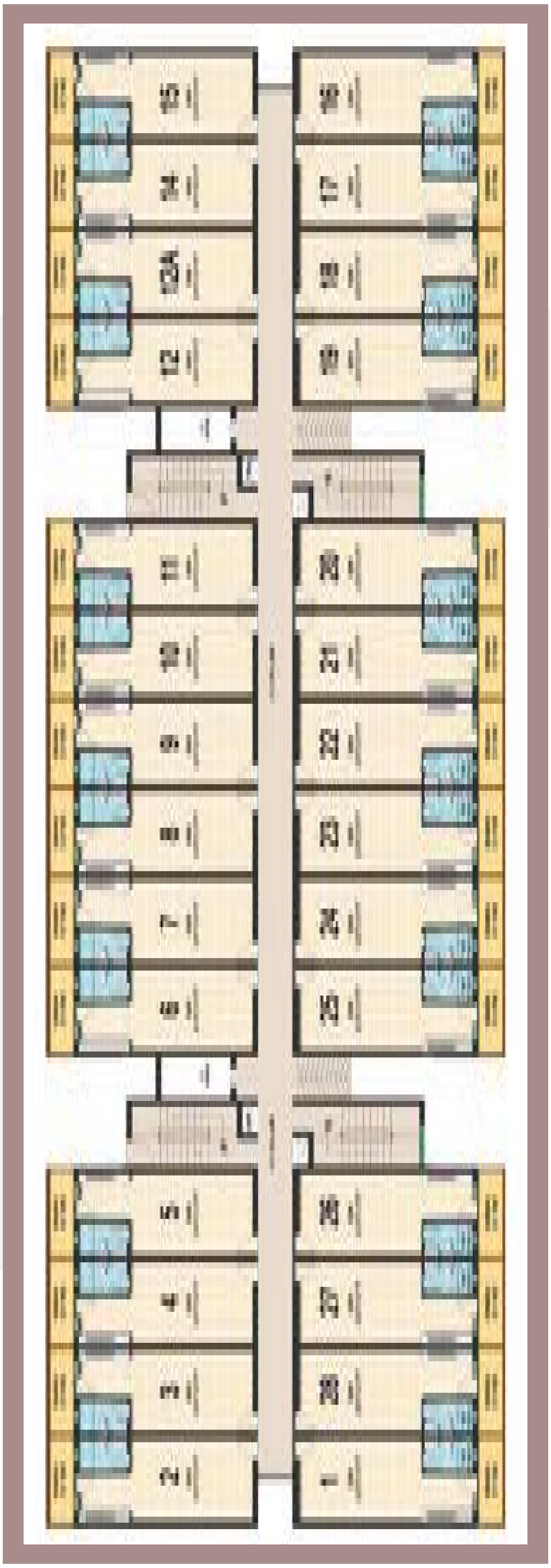

बिल्टअप एरिया (वर्ग मी.)	34.93 एवं 36.51
कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	28.06

टिपिकल यूनिट प्लान (ई.डब्लू.एस.)

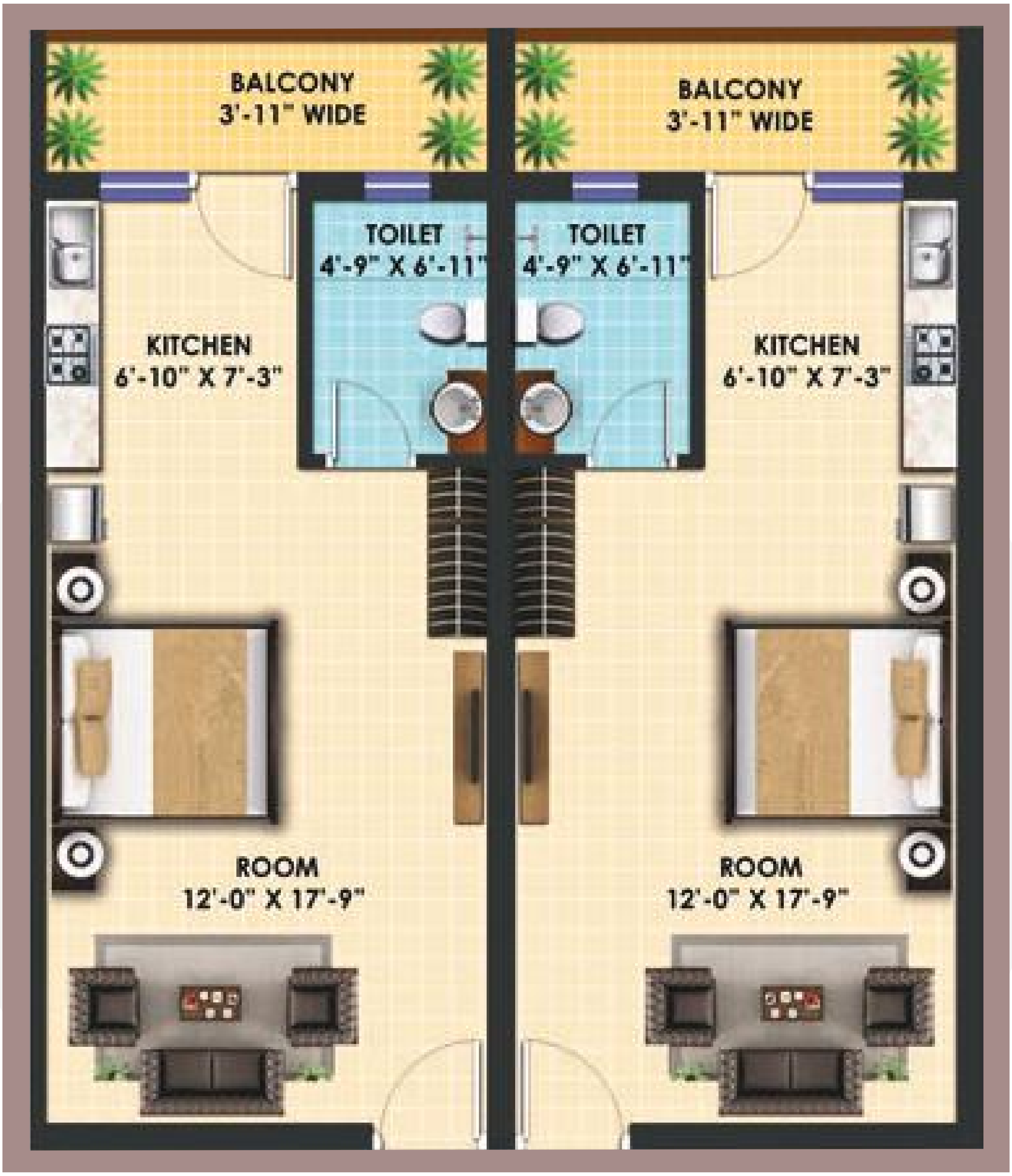

यूनिट प्लान में दर्शित फर्नीचर एवं अन्य सजावटी सामान केवल सूचक मात्र है तथा कंपनी के विरुद्ध इस संबंध में कोई मांग अस्वीकार्य होगी।

मिडिल यूनिट प्लान – यूनिट संख्या 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12A, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28 के लिए	
बिल्टअप एरिया (वर्ग मी.)	34.93
कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	28.06

कॉर्नर यूनिट प्लान – यूनिट संख्या 1, 2, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 26 के लिए	
बिल्टअप एरिया (वर्ग मी.)	36.51
कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	28.06

क्लस्टर प्लान (एल.आई.जी.)

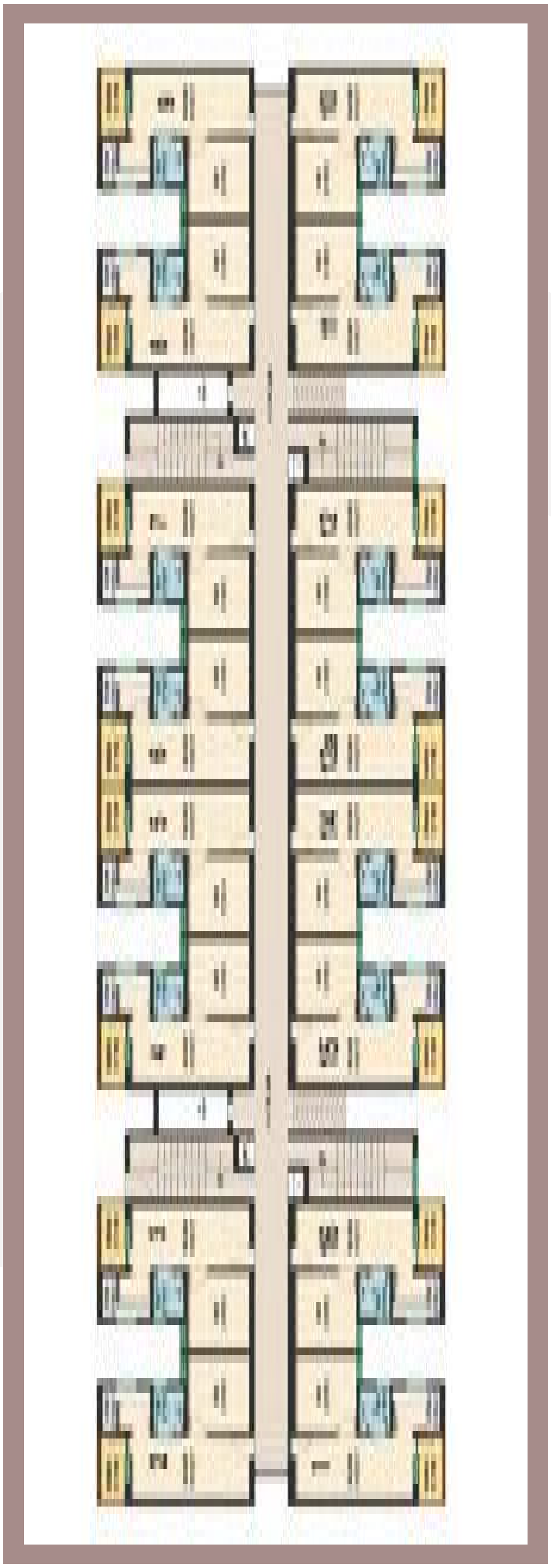

बिल्टअप एरिया (वर्ग मी.)	41.34 एवं 42.18
कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	32.89

टिपिकल यूनिट प्लान (एल.आई.जी.)

ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2

यूनिट प्लान में दर्शित फर्नीचर एवं अन्य सजावटी सामान केवल सूचक मात्र है तथा कंपनी के विरुद्ध इस संबंध में कोई मांग अस्वीकार्य होगी।

मिडिल यूनिट प्लान – यूनिट संख्या 5, 6, 12A, 14, के लिए	
बिल्टअप एरिया (वर्ग मी.)	41.34
कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	32.89

कॉर्नर यूनिट प्लान – यूनिट संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 के लिए	
बिल्टअप एरिया (वर्ग मी.)	42.18
कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	32.89

खुदीराम बोस
एनक्लेव–ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)

SPECIFICATIONS

Location	Floor/painting	Door/Window	Other
Drawing Room, Bedroom	• Ceramic floor Tiles • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	
Kitchen	• Ceramic floor Tiles • OBD • 600 mm Dado with cement punning	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	One power point and one tap with CC kitchen top
Toilets	• Ceramic floor Tiles • C.C. Dado upto 900 mm • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	• W.C. Indian type with one tap • one tap in bath
Balcony/ Varandah	• Ceramic floor Tiles • OBD		One corner wash basin
Structure	Earthquake resistant RCC/Load bearing structure		
Electrical	Standard conduit wiring with switches. One T.V. point		
Exterior	Cement Based Exterior Paint		

चन्द्रशेखर आजाद
एनक्लेव–एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)

SPECIFICATIONS

Location	Floor/painting	Door/Window	Other
Drawing Room, Bedroom	• Ceramic floor Tiles • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	
Kitchen	• Ceramic floor Tiles • OBD • 600 mm Dado over the counter with ceramic tile	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	One power point and one tap with Kota/Marble kitchen top
Toilets	• Ceramic floor Tiles • Dado 2100 mm height with ceramic tile • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	Indian W.C/E.W.C with wash basin
Balcony/ Varandah	• Ceramic floor Tiles • OBD		One corner wash basin
Structure	Earthquake resistant RCC/Load bearing structure		
Electrical	Standard conduit wiring with switches. One T.V. point		
Exterior	Cement Based Exterior Paint		

रू.10/– के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)
शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....उम्र .... वर्ष .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ।

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विवरण–पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट रूप से पढ कर समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित परियोजना में भवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त कम्पनी को दूँगा/दूँगी।

4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।

5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तिय वर्ष .... में समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय रू. ..../– थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।

6. मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान–बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे विरूद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापनः–

मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयानकरता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 6 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

OMAXE
Turning dreams into reality

खुदीराम बोस एनक्लेव (E.W.S.) / चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव (L.I.G.)

फार्म संख्या.......................

खुदीराम बोस एनक्लेव–ई.डब्लू.एस.(दुर्बल आय वर्ग) एवं चंद्रशेखर आजाद एनक्लेव–एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) भवनों हेतु आवेदन–पत्र

1. योजना का नाम ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) 1. .... 2. ....
   (अंग्रेजी में) 1. .... 2. ....
3. पिता/पति का नाम 1. .... 2. ....
4. आयु 1. .... 2. .... (संयुक्त आवेदन की दशा में विवरण भरा जायें)
5. पता (अ) वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) ....
   .... पिनकोड ....टेलीफोन नं. ....
   (ब) स्थायी पता ....
   .... पिनकोड .... टेलीफोन नं. ....
6. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें) ....
   (आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
7. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
   बैंक का नाम .... शाखा का नाम ....
   खाता नं. .... आई. एफ. एस. सी. कोड ....
8. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण, ई.डब्ल्यू.एस.(दुर्बल आय वर्ग)/एल.आई.जी.(अल्प आय वर्ग)
   पंजीकरण धनराशि रू. .... (शब्दों में) ....
   शाखा .... पता ....
9. आवेदक का व्यवसाय .... वार्षिक आय .... (आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

10. आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण –

	नाम	आयु	सम्बन्ध
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को जो शासनादेश संख्या– 3188/आठ–1–13–80विविध/2010 में दिए गए हैं को भली–भांति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं/हम ये भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदकों/आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. ....
2. ....
3. .... 1. .... नाम ....
4. .... 2. .... नाम ....

दिनांक ....

बैंक के प्रयोग हेतु

ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम/शाखा .... धनराशि रू. ....
विकासकर्ता कम्पनी के खाते में धनराशि जमा होने की तारीख ....

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोग हेतु

पंजीकरण का दिनांक .... आवंटित पंजीकरण संख्या .... आवंटित भवन संख्या .... आवंटन पत्र संख्या .... एवं निर्गत होने की तिथि ....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर ....
नाम स्पष्ट अक्षरों में ....

घोषणा–पत्र

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।

2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयस्क बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री) के पास लखनऊ नगर में, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्/अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू–राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ले।

3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।

4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त क कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य है।

6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।

साक्षी	आवेदक के हस्ताक्षर
....	....
....	....

खुदीराम बोस एनक्लेव (E.W.S.) / चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव (L.I.G.)

RERA Regn. No.: UPRERAPRJ796428

प्रोजक्ट प्रमोटर: गर्व बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड {ओमेक्स लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी} | CIN- U4500DL2008PTC179470

साइट कार्यालय: ओमेक्स मेट्रो सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ

आंचलिक कार्यालय: ओमेक्स लिमिटेड साईबर टावर द्वितीय तल, TC- 34/V2, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

कार्पोरेट कार्यालय: ओमेक्स लिमिटेड, 10, एल.एस.सी. कालकाजी, नई दिल्ली | www.omaxe.com

RERA REGISTRATION NO.: GARV Buildtech Pvt. Ltd. UPRERAPRM5708

सम्पर्क करें: +91-9999 999 871

Disclaimer: This advertisement is indicative in nature & may not constitute as an offer or invitation for the purpose of registration/booking/sale. Visual and other representations including amenities, specifications in this advertisement are purely conceptual /artistic impressions does not constitute a legal offering or binding. Actual could substantially differ from the above. The viewer /prospective buyer may seek all such information including sanctioned plans, approvals, development schedule, specifications, facilities & amenities, from the company in respect of the concerned project/phase that he/she may be interested in, before any such booking/registration, etc. Further, details of the project(s)/phase are available on the company /site/marketing office(s)and /or company website and on the website of RERA, Uttar Pradesh @up-rera.in or at its office.